फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम अशोक

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 232/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जाकर पत्रावली दिनांक 18/11/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	18/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप। वकील वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 11 CPC का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दिलवाई गई व प्रा॰पत्र शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते प्रा॰ पत्र 11 CPC के बहस हेतु दिनांक 13/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	13/12/22	पत्रावली पेश हुयी। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा हाजिर। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री विनोद शर्मा हाजिर। प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र धारा-11 CPC पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश 20/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	20/12/22	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिव॰ श्री विनोद शर्मा हाजिर। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा हाजिर

(हस्ताक्षर)

2021/270

फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम हरलाल

...य : सहायक कलक्टर, बस्सी

...र्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 232/21

... आज्ञा ...र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	उभयपक्षकारान की बहस गत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर, समस्त खातेदारों के मध्य विभाजन का अंतिम निर्णय दिनांक 05/06/2018 को हो चुका है। अतः उक्त वाद Res judicata की श्रेणी में आने के कारण ड्राप फरमाया जावे। अप्रार्थी/ वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि विवादितग्रस्त आराजी ख.नं. 36/1 रकबा 4.2408 हे० पटवार हल्का खतेपुरा, तहसील तुंगा, जिला जयपुर के सम्बन्ध में पूर्व में कोई वाद, वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश नहीं किया अतः वादी का वाद-पत्र Res judicata से बाधित नहीं है। हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड्स का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि पूर्व वाद में खसरा नं. 36 को [signature]	

2022/280

फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम अशोक

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 232

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		3 भागों में विभाजित करते हुए एक भाग खसरा नम्बर 36 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा, दूसरा भाग 36/02 रकबा 8 बीघा, तीसरा भाग खं. नं 36/1 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा दिनांक 05/6/2018 को राजस्व लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर final Decree किया गया। पूर्व वाद न. 17/2009 विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का ही था। जिसमें अंतिम निर्णय में उभयपक्षकारान को विभाजित हिस्से अनुसार अपने-अपने हिस्से में कब्जा काश्त करने तथा दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए स्थायी रूप से पाबन्द किया गया है। अतः समान विवादक विषय और पक्षकारों के बीच, वाद का अंतिम निर्णय पूर्व में दिनांक 05/6/2018 को हो चुका है। इस क्रम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 CPC न्यायिक [illegible]
		(हस्ताक्षर)

2022/270

फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम अशोक

(न्याया)लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

(वाद)/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 232/22

(दिन)ांक आज्ञा (व) कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	में स्वीकार किया जाकर, पश्चातवर्ती वाद के विचारण पर रोक लगाया जाना उचित समझते हैं ताकि न्यायालय में अनावश्यक वादों की बहुलता को रोका जा सके और एक ही वाद-हेतुक के लिए खातेदारों या पक्षकारों की परेशानी को कम किया जा सके। अतः वाद संख्या 232/2022 कन्हैयालाल V. अशोक कुमार की कार्यवाही को Res judicata की श्रेणी में आने के कारण ड्रॉप की जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner